

1/170942/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासना

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ० प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 27 मई, 2022

विषय:- डी० एन० बी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम० ई० 0-3/2022/179 दिनांक 25.01.2022 तथा पत्र संख्या-एम० ई० 3/2022/799 दिनांक 08.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी० एन० बी० 2021 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

1. शासकीय बांड की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो विभागीय रूप से प्रायोजित हों और उनके विभाग द्वारा ऐसे बांड निष्पादित करने की बाध्यता हो।
2. शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/एम० एस०/डिप्लोमा/एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के विन्दु संख्या-8 (ख) में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि "प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जव्त कर लिया जायेगा व साथ ही रु० 5,00,000/- (पांच लाख) का बाण्ड प्रभावी मानते हुए उक्त धनराशि सरकार के पक्ष में देय होगी, जिसे अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में जमा कराना होगा"। चूंकि डी० एन० बी० पाठ्यक्रम को काउन्सिलिंग नीट पी० जी० की मेरिट से ही सम्पन्न की जा रही है, अतः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/एम० एस०/डिप्लोमा/ एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के विन्दु संख्या-8 (ख) में निर्धारित व्यवस्था डी० एन० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों पर भी लागू होगी।

3. शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा चिकित्सा शिक्षा(एलोपैथी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क डी० एन० बी० पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों पर भी लागू किया जायेगा तथा डी० एन० बी० 2021 प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा एन० बी० ई० 0, नई दिल्ली को देय होगा:-

फीस	जी० एस० टी० 18 प्रतिशत	कुल
1,25,000/-	22,500/-	1,47,500/-

4. शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर एवं मीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के वेतनमान में अभिवृद्धि/संशोधन किया गया है। जूनियर रेजिडेंट हेतु निर्धारित लेवल-10 के अनुसार ही डी० एन० बी० पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

9937

A0-IV

28/05/22

I/170942/2022

5. मेडिकल कॉलेज में जे0 आर0 के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करते वक़्त निम्नवत बरीयता प्रदान की जायेगी:- (क) सर्व प्रथम एम0 डी0/एम0 एम0 में प्रवेशित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाये।

(ख) तत्पश्चात डी0 एन0 बी0 में प्रवेशित अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाय, अर्थात स्वीकृत पदों के सापेक्ष समायोजन में एकेडमिक जे0 आर0 को प्राथमिकता दी जाय। एकेडमिक JR (MS/ MD एवं DNB) के समायोजन के पश्चात ही यथावश्यकता नॉन एकेडमिक जे0 आर0 की तैनाती की जायेगी, यदि एकेडमिक JR (MS/ MD एवं DNB) के समायोजन के पश्चात कार्यरत कुल जे0 आर0 की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो उचित संख्या में नॉन एकेडमिक जे0 आर0 के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जाये।"

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Signed by आलोक कुमार भवदीय,
Date: 27-05-2022 17:10:49
Reason: Approved(आलोक कुमार)
 प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त कुलसचिव, चिकित्सा विश्वविद्यालय / निदेशक, चिकित्सा संस्थान / प्रधानाचार्य,
 राजकीय मेडिकल कालेज / स्वशामी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उ० प्र०।

2- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 1/2/3 व गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
 संयुक्त सचिव